

न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी- श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या- 08/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/23

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामेश्वर पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी सिरसला तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन।		1. तहसीलदार, मकराना। 2. पटवार हल्का बेसरोली।

उपस्थित :-

- श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील अपीलांत।

अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार मकराना दिनांक 08.09.2023 प्रकरण संख्या 09/2022
बअनुवान राज्य सरकार बनाम तेजाराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में
अपीलार्थी को बेदखल के आदेश पारित किये।

निर्णय

दिनांक: 23.04.2024

अपीलार्थी की ओर से निम्न अपील सविनय प्रस्तुत है:-

- यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बेसरोली तहसील मकराना के द्वारा इस आशय की टी.पी. रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम सिरसला तहसील मकराना के खसरा नम्बर 65 पर रकबा 0.0232 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी-2 डोली बाम मन्दिर श्री नरसिंह जी महाराज की भूमि पर अप्रार्थी रामेश्वर, किशोर पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी सिरसला तहसील मकराना द्वारा डोल लगाकर अतिक्रमण किया है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण धारा 91 आर.एल.आर एक्ट 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को प्रकरण में जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बी.बार. डूडी द्वारा दिनांक 27.06.2022 को वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा तो न्यायहित में दिया गया। तत्पश्चात वकील अप्रार्थी ने दिनांक 27.09.2022 को जवाब पेश कर अभिकथन किया कि "उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अतिचार करना बताया गया है जो गलत है, अप्रार्थी का अतिचार नया नहीं होकर सेटलमेन्ट हुआ, उससे पहले का ही है जो मिसल बन्दोबस्त में अप्रार्थी के पूर्वजों का कब्जा काश्त दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पहले से ही अप्रार्थी के दादा लालाराम पुत्र बल्लाराम कौम जाट का कब्जा काश्त था जो मिसल बन्दोबस्त 2006 में स्पष्ट इन्द्राज है।"



जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी तथा राजस्व रिकॉर्ड, हल्का पटवारी तथा भू.अ. निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त डोली बनाम मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज के नाम दर्ज है। राजस्व (ग्रुप 6) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं।

अतः पटवारी हल्का बेसरोली तहसील मकराना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब के परीक्षण उपरान्त ग्राम बेसरोली के खसरा नम्बर 65 पर रकबा 0.0232 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी 2 डोली बनाम मन्दिर श्री नरसिंहजी महाराज की भूमि में अप्रार्थी रामेश्वर, किशोर के द्वारा तथा डोल लगाकर अतिक्रमण करने सम्बंधी पुष्टि होती हैं इसलिए उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को हस्तगत प्रकरण में ग्राम बेसरोली तहसील मकराना के खसरा नम्बर 65 पर रकबा 0.0232 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी 2 डोली बनाम मन्दिर श्री नरसिंहजी महाराज की भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर ग्राम बेसरोली तहसील मकराना के खसरा नम्बर 65 पर रकबा 0.0232 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी 2 डोली बनाम मन्दिर श्री नरसिंहजी महाराज की भूमि पर किये गये अतिक्रमित भाग 0.0232 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में शरहद लगान का 50 गुणा 25 रुपये प्रतिवर्ष अनुसार सम्वत् 2079 व 2080 का 50 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाकर अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधार पर यह अपील पेश कर रहा हैं।

—:अपील के आधार:-

1. यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2023 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2023 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं करवाये गये हैं। इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया हैं। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के समक्ष दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 145/2023 बअनुवान भैरुराम बनाम सरकार पेश किया। उक्त वाद के जवाब में



जिला कलेक्टर
जैसलमेर-कुचामन

तहसीलदार, मकराना ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि डोली बनाम मंदिर श्री नरसिंहजी महाराज का नाम गलत दर्ज हुआ है। इस प्रकार खसरा नम्बर 65, 68 व 69 की जमाबन्दी के अनुसार खातेदारी दिये जाने बाबत किसी प्रकार की कोई आपति पेश नहीं की है। जिससे अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि विक्रम सम्वत् 2006 की मिसल बन्दोबस्त में कॉलम संख्या 4 में डोली बनाम मंदिर श्री नरसिंहजी दास का अंकन बतौर मालिक के दर्ज हैं लेकिन काश्तकार करने वाले काश्तकार का नाम सम्वत् 2006 की मिसल में ही कॉलम 5 में अपीलांट के पूर्वजों का नाम इन्द्राज हैं व नियमानुसार सेटलमेन्ट से पहले व सेटलमेन्ट के समय मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं रही हैं तो वह जमीन वक्त सेटलमेन्ट के काश्त करने वाले काश्तकार को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। जिससे उक्त अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
7. यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.09.2023 का हैं। जिसकी जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.01.2024 को नकल प्राप्त हुई। इससे पूर्व अपीलार्थी को उक्त निर्णय की कभी कोई जानकारी नहीं थी। उक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी की अपील को अन्दर मयाद सुमार किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक हैं। इस हेतु धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र साथ पेश हैं।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 10/2022 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम रामेश्वर, किशोर में पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार मकराना का मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सेटलमेन्ट के पहले से ही उक्त जमीन हमारी खातेदारी की रही है। उक्त विवादित भूमि पर पर अप्रार्थी द्वारा अतिचार करना बताया गया हैं जो गलत हैं, अप्रार्थी का अतिचार नया नहीं होकर सेटलमेन्ट हुआ, उससे पहले का ही हैं जो मिसल बंदोबस्त में अप्रार्थी के पूर्वजों का कब्जा काश्त दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पहले से ही अप्रार्थी के दादा लालाराम पुत्र बल्लाराम कौम जाट का कब्जा काश्त था जो मिसल बन्दोबस्त 2006 में स्पष्ट इन्द्राज हैं। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के समक्ष दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 145/2023 बअनुवान भैरूराम बनाम सरकार पेश किया। उक्त वाद के जवाब में



जिला कलक्टर
जोधपाना-कुचामन

तहसीलदार, मकराना ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि डोली बनाम मंदिर श्री नरसिंहजी महाराज का नाम गलत दर्ज हुआ है। इस प्रकार खसरा नम्बर 65, 68 व 69 की जमाबन्दी के अनुसार खातेदारी दिये जाने बाबत किसी प्रकार की कोई आपति पेश नहीं की है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 09/2022 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम तेजाराम में पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश सादर फरमावें।

उभय पक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया। ग्राम सिरसिला तहसील परबतसर के जमाबन्दी संवत् 2010-2013, संवत् 2026 से 2029 तक खसरा नम्बर 65 डोली बनाम नृसिंह जी महाराज के नाम दर्ज हैं एवं जमाबन्दी संवत् 2010 से 2012 एवं 2026 से 2029 में भी डोली बनाम मन्दिर नृसिंह जी के रूप में खातेदार दर्ज है।

राजस्व (ग्रुप 6) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं।

अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां प्रस्तुत वाद संख्या 145/2003 में प्रस्तुत जवाब में अंकित कथन के आधार पर प्रश्नगत भूमि के मन्दिर मूर्ति नहीं होकर खातेदारी की होने का तर्क प्रस्तुत किया है परन्तु अपीलार्थी वाद संख्या 145/2003 में क्या निर्णय हुआ इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये। प्रार्थी स्वयं भी यह स्वीकार करता है कि पूर्व में भी विक्रम संवत् 2006 में उक्त जमीन डोली बनाम मन्दिर नृसिंहजी के नाम दर्ज थी एवं आज भी वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार उक्त भूमि डोली के नाम है।

प्रार्थी राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की अपील के माध्यम से खातेधारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है जो प्रदान नहीं किये जा सकते।

उपरोक्त विवेचन से प्रमाणित है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 65 संवत् 2010 से आज तक डोली बनाम मन्दिर नृसिंहजी के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने के तथ्य भी पत्रावली से प्रमाणित हैं। अपीलांट द्वारा डोली की भूमि पर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार मकराना द्वारा




जिला कलक्टर
जयपुर-कुचाभग

राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 10/2022 उनवान पटवारी हल्का बेसरोली बनाम रामेश्वर, किशोर दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.09.2023 को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये गये है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मकराना के प्रकरण संख्या 10/2022 उनवान पटवारी हल्का बेसरोली बनाम रामेश्वर, किशोर का निर्णय दिनांक 08.09.2023 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.04.2024 को सुनाया गया।




(बाल मुकुन्द असावा, IAS)

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन